न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः 551/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00393)

1. रहमान खॉ पुत्र श्री कमल खॉ उम्र करीब 92 वर्ष,
2. असरू खॉ पुत्र श्री कमल खॉ, उम्र करीब 57 वर्ष, जातियान मेव, निवासीयान ग्राम बगथला तहसील किशनगढ बास जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर अलवर, राजस्थान।
2. नगर पालिका किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 06.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आदेश दिनांक 26.07.218 की अपीलान्ट को दिनांक 29.08.2018 को उप सरपंच अयूब खॉ ने बताया कि विवादित जमीन नगर पालिका किशनगढबास को अलोट हो गई है जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.08.2018 को हल्का पटवारी के पास गये वहॉ से मालुम कर नामान्तरकरण की नकल ली जिसके आधार पर विवादित आदेश की जानकारी हुई जिस पर वकील साहब द्वारा आदेश की नकल लाने हेतु कहा गया तो अपीलान्ट ने मालुम कर दिनांक 10.09.2018 को आदेश की नकल लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया जिस पर आदेश की नकल दिनांक 12.09.2018 को प्राप्त हुई इसके पश्चात् रूपये पैसो एवं कागजात इकट्ठे कर अपील तैयार करवाकर बिना देरी के जानकारी की दिनांक 29.08.2018 से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी पर अर्सा करीब 50–52 वर्षो से अपीलान्ट का लगतार बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, अपीलान्ट से पूर्व उनके पिता का कब्जा था तथा अपीलान्ट का आज भी मौके पर कब्जा है तथा फसल इत्यादि खडी हुई है इसलिये अपीलान्ट एग्रीवड़ व्यक्ति है इसलिये अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे, जिसके लिये अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलानट ने कथन किया है कि विवादित आराजी पर मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को बिना विधिक प्रक्रिया अपनये बेदखल कर विवादित आराजी को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सेट–अपार्ट करने के आदेश नही दिये जा सकते इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता कमल खॉ ने पूर्व में भी सन् 1979 में विवादित आराजी को कीमतन लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का ने सम्वत् 2033 से अपीलान्ट के पिता कमल खॉ का कब्जा माना है लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई इसके पश्चात् भी अपीलान्ट ने विवादित आराजी को कीमतन सनद् पट्टा लेना चाहता है, अपीलान्ट को विवादित आराजी का सनद् पट्टा लेने का उक्त परिस्थिति में प्रथम हक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्तत तथ्य पर गौर नही किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में भू राजस्व बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि आवंटन नियम 1963 के खण्ड 2 के अधीन आवंटन करने की स्वीकृति मांगी गई जो इस प्रकारण पर लागू नही होती है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिससे अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उक्त राजकीय भूमि कचरा संग्रहण हेतु सेट–अपार्ट की गई है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध सराकार नही होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2053 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी पर काश्त की गई है जिससे अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पीसी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन यह भी जाहिर होता है कि उक्त भूमि विवादग्रस्त राज कीय भूमि है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

जिस अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तथा केवल अतिक्रमण के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी के कोई हक, हकूक अधिकार नही नही बनते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 4730–35 दिनांक 26.07.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।